आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nssccceraj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांकः एफ.8(14)नशा/एनएसएस/आकाशि/2022/ दिनांकः जुलाई, 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :— नशा मुक्त भारत अभियान बाबत।
सन्दर्भ :— संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप—9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के राजकाज क्रमांक 8800086 दिनांक 11.07.2024.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत को नशा मुक्त करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित नार्को कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र (NCORD) की राज्य स्तरीय समिति की मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2024 को बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण प्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि एक दिवस निश्चित करके प्रतिमाह उस दिवस को सभी महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को नशे के खिलाफ ई—प्रतिज्ञा दिलवायी जाये।

अतः सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि **प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार** को नशे के खिलाफ छात्र/छात्राओं को दिये गये लिंक https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/ पर ई—प्रतिज्ञा दिलवा कर **स्प्रेडशीट-Nss.Plantation2024** के कॉलम संख्या **AD to AE में प्रत्येक सोमवार** को अद्यतन रिपोर्ट को नियमित भरवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(पुखराज सेन)
आयुक्त

प्रतिलिपि —

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप—9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड/ई—मेल हेतु।

(पुखराज सेन)
आयुक्त

RajKaj Ref
9052572

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.18 22:25:47 IST
Reason: Approved

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
[illegible] एवं [illegible] विभाग
शासन [illegible]
आवक संख्या 3368
दिनांक 12/07/24

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः– प.36(1)गृह–9/2011 पार्ट 2

जयपुर, दिनांक 11 JUL 2024

बैठक कार्यवाही विवरण

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित नार्को कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र (NCORD) की राज्य स्तरीय समिति की मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2024 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

1. श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. श्री आनन्द कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. श्री उत्कल रंजन साहू, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
4. श्री विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसओजी।
5. श्री कृष्ण कुणाल, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
6. श्रीमती रश्मि गुप्ता, शासन सचिव, गृह विभाग।
7. श्रीमती राधिका चक्रवर्थी, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।(vc)
8. श्री हितेश गोदारा, उप महानिदेशक(पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), एनसीबी।(vc)
9. श्री इकबाल खान, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, जयपुर।
10. श्री सुनील शर्मा, आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान।
11. श्री एम. एल. गर्ग, महानिरीक्षक, बीएसएफ।(vc)
12. श्री ज्योति कुमार सतीजा, महानिरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल।
13. श्री धनश्याम सोनी, क्षेत्रीय निदेशक, जयपुर/जोधपुर, एनसीबी।
14. श्रीमती अर्पिता नाहरियां, जोनल प्रमुख, प्रवर्तन निदेशालय।
15. डॉ. अनुज सक्सैना, संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
16. श्री नीलेश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव, वित्त(आबकारी)विभाग।
17. श्री जे.एस. राजपुरोहित, सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरों, कोटा।(vc)
18. श्री अजय शर्मा, निदेशक, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान।
19. श्री राजाराम शर्मा, राज्य औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
20. श्री अजय फाटक, राज्य औषधि नियंत्रक, राजस्थान।

(ID No.) 784 (SPS/CCE)
(Date) 12/7/24

सर्वप्रथम श्री हितेश गोदारा, उप महानिदेशक, एनसीबी (पू. क्षे/प.क्षे.) द्वारा मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान एवं बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत कर बैठक की प्रस्तावना (Opening Remarks) प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात श्री धनश्याम सोनी, क्षेत्रीय निदेशक, जयपुर/जोधपुर, एनसीबी द्वारा गत बैठक में प्रदत्त निर्देशों की कियान्विति एवं बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में पीपीटी का प्रस्तुतीकरण किया। भारत के साथ–साथ राजस्थान के ड्रग्स परिदृश्य पर चर्चा की गयी।

बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभिन्न विभागों को निम्न निर्देश प्रदान किये गएः–

क्र.सं.	निर्देश	संबंधित विभाग
1.	National Funds for Control of Drug Abuse(NFCDA) का धरातल पर अधिक प्रभावशाली तरीके से उपयोग किये जाने हेतु संबंधित विभागों द्वारा एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार से धन–राशि प्राप्त किये जाने के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही (follow up action) की जाये।	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पुलिस विभाग

RajKaj Ref 6900153

2.	एक दिवस निश्चित करके प्रतिमाह उस दिवस सभी सरकारी व गैर–सरकारी संस्थानों के छात्रों को नशे के खिलाफ ई–प्रतिज्ञा दिलवायी जाये।	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा)
3.	प्रदेश के सभी संस्थानों में BUDDY कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं शिक्षा विभाग
4.	प्रदेश के सभी बार, पब, कैफे, रेस्टोरेंट, होटल आदि के परिसर में एन्टी ड्रग संकेतक बोर्ड/चेतावनी लगाये जाने की कार्यवाही की जाये।	स्वायत शासन विभाग, आबकारी विभाग।
5.	"H" श्रेणी के फार्मा ड्रग के क्रय, विक्रय, स्टॉक आदि को ट्रेक किये जाने हेतु तंत्र विकसित किया जाये, जिससे इनके दुरूपयोग को नियंत्रित/रोका जा सके।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6.	समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक राजस्थान NCORD की जिला स्तरीय समिति की बैठकों का समयबद्ध व नियमित रूप से आयोजन कर विवरण NCORD पोर्टल पर अपलोड करे।	गृह विभाग, एनसीबी
7.	प्रदेश में शिक्षण संस्थानों, लाईब्रेरी आदि के पास स्थित पान और चाय की दुकानों का औचक निरीक्षण किये जाये।	पुलिस विभाग, एनसीबी
8.	प्रदेश में डोडा–पोस्त चूरी नष्टीकरण की कार्यवाही प्रभावी रूप से की जाये।	आबकारी विभाग, एनसीबी
9.	गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार प्रदेश में ANTF का गठन किया जाये।	पुलिस विभाग, गृह विभाग
10.	सीमावर्ती जिलों में भारतमाला रोड पर सर्विलांस हेतु कैमरा लगाये जाये।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
11.	राज्य पुलिस द्वारा जब्त ड्रग्स व वाहनों की स्थिति केन्द्रीय मॉनिटरिंग हेतु विभिन्न मालखानों में संधारित की जाये।	पुलिस विभाग
12.	निजी नशा–मुक्ति केन्द्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
13.	डार्क–नेट के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी को नियंत्रित करने हेतु साईबर पैट्रोलिंग में वृद्धि की जाये।	पुलिस विभाग, एनसीबी
14.	संवेदनशील क्षेत्रों में गुप्त प्रयोगशालाओं से निपटने हेतु API केमीकल के मूवमेंट को नियंत्रित किया जाये। पुलिस विभाग के कार्मिकों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाये।	पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एनसीबी
15.	नशे के खिलाफ मीडिया/सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाये।	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

मुख्य सचिव, महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा सुझाव लिये गए। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अवगत कराया कि राज्यों को नशे की लत के आधार पर वर्गीकृत किये जाने हेतु सर्वे भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। बैठक के एजेण्डे में नशा–मुक्त भारत अभियान को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। समाज में नशे के प्रभाव को रोकने, इसके लिए लोगों को जागरूक करने, पीडीतों की पहचान करने व उनके पुनर्वास के कार्यों को बढावा दिया जाये।

बैठक के अंत में मुख्य सचिव महोदय ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया कि नशे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज़्यादा लोगों क़ो जागरूक किये जाने के प्रयास किये जाये, जिसमें नशा मुक्ति केन्द्र से उपचारित व्यक्तियों, उत्पीड़ित महिलाओं के साक्षात्कार/बाईट को प्रसारित किया जाये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसओजी।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
14. उप महानिदेशक(पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), एनसीबी।
15. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, जयपुर।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान।
17. महानिरीक्षक, बीएसएफ।
18. महानिरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल।
19. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, जोधपुर।
20. जोनल प्रमुख, प्रवर्तन निदेशालय।
21. क्षेत्रीय अति. निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय।
22. उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रिय नारकोटिक्स ब्यूरों।
23. निदेशक, राजस्थान राज्य एड्स नियत्रंण सोसायटी, राजस्थान।
24. निदेशक, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान।
25. राज्य औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
26. इन्टैलीजेन्स ब्यूरों(IB), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
8800086

Document certified by APARNA GUPTA <APARNA160@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by APARNA GUPTA
Designation : Joint Secretary To Government
Date :11-07-2024 03:08:11